राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 371/2008

शिशुपाल सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, सीकर (राज.)।
4. श्री पृथ्वीराज माथुर वर्तमान में कार्यालय सहायक के पद पर कलेक्टरेट, सीकर (राज.) में कार्यरत।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.04.2008

अपील संख्या :– 2048/2015

शिशपाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर जरिये निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलेक्टर, सीकर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.08.2015

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मानसिंह गुप्ता एवं श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 02.01.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील संख्या 371/2008 एवं अपील संख्या 2048/2015 अपीलार्थी के विद्वान् द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं यह अनुतोष चाहा गया कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2006 एवं 30.03.2007 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को जिस आदेश के तहत एलडीसी कम आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसे अपास्त फरमाया जावे और नियमानुसार एलडीसी/यूडीसी की वरिष्ठता सूची पुनः कार्यालय सहायक के पद के लिए वरिष्ठता सूची निर्धारित की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आरपीएससी द्वारा चयन के आधार पर वर्ष 1980 में नियमित चयन किया गया और उसे कार्यालय तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू में दिनांक 04.11.1980 को एलडीसी के पद पर नियुक्ति दी गई तथा आदेश दिनांक 06.07.1982 के द्वारा अपीलार्थी को चूरू से जिला सीकर स्थानान्तरित किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 नियमित रूप से एलडीसी के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। अपीलार्थी एसटी वर्ग से है और नियमित चयन किया गया है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अस्थाई रूप से 6 माह के लिए नियुक्त किया गया था और उसे बाद में नियमित कर दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं था, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने आपत्ति दर्ज की और वरिष्ठता का निर्धारण के संबंध में भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया और उसे अपीलार्थी से वरिष्ठ मानते हुए यूडीसी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। परंतु अपीलार्थी के आपत्ति पर कोई सुनवाई न होने के कारण अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 28.01.2008 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करवाया तथा अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2006 एवं 30.03.2007 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को जिस आदेश के तहत एलडीसी कम आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसे अपास्त फरमाया जावे और नियमानुसार एलडीसी/यूडीसी की वरिष्ठता सूची पुनः कार्यालय

सहायक के पद के लिए वरिष्ठता सूची निर्धारित की जावे एवं आरक्षण नीति के अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाकर समस्त परिलाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की पालना में दिनांक 01.04.1997 से वर्ष 2006–07 तक रिव्यू एवं वर्ष 2007–2008 से वर्ष 2011–12 तक की नियमित डीपीसी दिनांक 23.11.2012 को आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2010–11 की रिक्ति के विरूद्ध कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रकरण में अपीलार्थी के पूर्व से ही लंबित एक परिवाद पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06.09.2013 की पालना में यूडीसी कम स्टेनों के पदों से कार्यालय सहायक के पदों पर नियम विरूद्ध पदोन्नत होकर कार्यालय सहायक की वरिष्ठता सूची में शामिल हुए 5 कार्मिकों को उनके मूल पदों (कनिष्ठ सहायक) पर पदावनत करने से कार्यालय सहायक के रिक्त हुए पदों को डीपीसी वर्ष में शामिल कर दिनांक 01.04.1997 से वर्ष 2014–15 तक रिव्यू की पुनः रिव्यू डीपीसी दिनांक 26.06.2014 को आयोजित की गई। श्रीराम मीणा के डीपीसी वर्ष 2009–10 में पदोन्नत होने एवं इसी डीपीसी वर्ष में मृत्यु होने पर नियमानुसार उक्त रिक्ति को वर्ष 2010–11 की डीपीसी में शामिल कर श्री धर्मपाल मीणा को पदोन्नत किया गया और सेवानिवृत्ति होने से डीपीसी वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जनजाति वर्ग का पद रिक्त हुआ, जिस पर वरिष्ठ कार्मिक अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया, जो सही एवं नियमानुसार है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियमित नियुक्ति वर्ष 1980 में हुई और उसे कार्यालय तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू में दिनांक 04.11.1980 को एलडीसी के पद पर नियुक्ति दी गई तथा आदेश दिनांक 06.07.1982 के द्वारा अपीलार्थी को चूरू से जिला सीकर स्थानान्तरित किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 नियमित रूप से एलडीसी के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। अपीलार्थी एसटी वर्ग से है और नियमित चयन

हुआ है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अस्थाई रूप से 6 माह के लिए नियुक्त किया गया था और उसे बाद में नियमित किया गया, परंतु उसे अपीलार्थी से वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ माना गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने आपत्ति दर्ज की और वरिष्ठता का निर्धारण के संबंध में भी अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता एवं पदोन्नति का सही नियमानुसार संधारण नहीं किए जाने का प्रश्न है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किए जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 371/2008 शिशुपाल सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक में वर्णित अन्य अपील संख्या 2048/2015 शिशपाल सिंह में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य